



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239618
CG-DL-E-13102022-239618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]
No. 689]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 13, 2022/आश्विन 21, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2022/ASVINA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 775(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना, संख्या 3/2022-स्वापक नियंत्रण -1, दिनांक 28 सितंबर, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 739 (अ), दिनांक 28 सितंबर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में

(i) पैरा 2 (ix) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित करें

2(x). फसल वर्ष 2021-22 के लिए फार्म नंबर 1 (नियम 7 देखें) में कॉलम संख्या 11 में पात्र मृतक किसान द्वारा नामित किसान।

(ii) पैरा 6.i में "अफीम का मॉर्फिन अवयव" के स्थान पर, "बिना लांस वाले पोस्ट भूस का मॉर्फिन अवयव" पढ़ें।

(iii) पैरा 8 (vi) में "किसानों को अफीम को स्टोर करने की अनुमति दी जाए" के स्थान पर, "किसानों को बिना लांस वाले पोस्ट कैप्सूल को भूस सहित स्टोर करने की अनुमति दी जाए" पढ़ें।

[फा. सं. एन-14011/03/2022-एनसी.1]

दिनेश बौद्ध, निदेशक (स्वापक नियंत्रण)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 13 October, 2022

G.S.R. 775(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 3/2022-Narcotics Control-1, dated the 28th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 739 (E), dated the 28th September, 2022,

- i. After para 2 (ix), *insert*
2(x). Cultivator who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2021-22.
- ii. In para 6.i. *for* “morphine content of opium”, read “morphine content of un-lanced poppy straw”.
- iii. In para 8. vi. *for* “cultivators may be allowed to store Opium”, *read* “cultivators may be allowed to store “un-lanced poppy capsule along with straw”.

[F. No. N-14011/03/2022-NC.I]

DINESH BOUDDH, Director (Narcotics Control)